



पूर्वोत्तर रेलवे

मरेग्र (का.) कार्यालय
वाराणसी मंडल.

सं0 का/227/राज/सी.एम.पी./भाग-1/वाराणसी

दिनांक :- 20.03.2026

अधिसूचना सूचना

विषय:- संविदा के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए वाक् इन इंटरव्यू।

संविदा के आधार पर 01 पूर्णकालिक मेडिकल प्रैक्टिशनर (सामान्य ड्यूटी) को 01 वर्ष के लिए वाराणसी मण्डल मे चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य इकाई छपरा के लिए इंगेज किया जाना है(यह अवधि रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है), रिक्तियों तथा अन्य विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं	पद	योग्यता	रिक्ति का स्थान	चयन हेतु विशेषज्ञता	रिक्ति का विवरण	Total
01	CMP (जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर)	M.B.B.S + rotatory 01 internship	स्वास्थ्य इकाई / कप्तानगंज	जी०डी०एम०ओ०	GEN-01 OBC-00 SC-00 ST-00 EWS-00	01

1. वाक् इन इंटरव्यू स्थान- मंडल रेल प्रबंधक(का.) कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में।
2. दिनांक तथा समय:- 21.04.2026(मंगलवार) समय 09.00 पूर्वाह्न।
3. सीएमपी को वाराणसी मंडल के क्षेत्राधिकार में कहीं पर भी पदस्थ किये जाने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित है।
4. मासिक पारिश्रमिक - रेलवे बोर्ड के पत्र सं -No. 2020/E(GR)II/1/3 नई दिल्ली दिनांक 17.09.2024 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मासिक पारितोषिक दिया जायेगा।
(क) सी०एम०पी० (जी०डी०एम०ओ०) हेतु - रु० 95000/- (मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता सहित) प्रतिमाह की दर से मानदेय देय होगा।
(ख) पुर्न नियोजित सेवानिवृत्त चिकित्सको को रेमूनेरेशन (मासिक पारिश्रमिक) रु० 46000/- प्रतिमाह होगा लेकिन (रेमूनेरेशन+पेंशन का योग किसी भी स्थिति में भू०पू० चिकित्सक द्वारा प्राप्त किये गये अंतिम माह के वेतन से अधिक नहीं होगा।
5. शैक्षिक योग्यता एवं पात्रता- भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उम्मीदवार की प्रत्येक पद के सामने अंकित योग्यता पूर्ण होनी चाहिए तथा भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी राय चिकित्सा परिषद के साथ वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वाक् इन इंटरव्यू हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाना आवश्यक है।
6. आयु सीमा :- दिनांक. 01.04.2026 की तिथि तक अधिकतम आयु 60 वर्ष के अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सको हेतु आयु सीमा 65 वर्ष तक होगी (वार्षिक कार्यकालों की संख्या 20 कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु/ सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सको का 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, और नियुक्ति का प्रत्येक कार्यकाल इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक नहीं होगा)।
7. आरक्षण :- ओपन मार्केट के आवेदित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए आयु सीमा में कोई छुट देय नहीं होगी। यदि आरक्षित समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित रिक्तियों से कम आवेदन करते हैं तो आरक्षित रिक्तियों को सामान्य समुदाय के अभ्यर्थियों से भर लिया जायेगा।

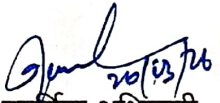
आवेदन पत्र का प्रारूप, पात्रता, नियम व शर्तों का विस्तृत विवरण पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

(Signature)
20/03/26



अन्य निर्देश -

- (क) चयन के समय आई.सी.यू./ क्रिटिकल केयर यूनिट में कार्य का अनुभव रखने वाले एवं चेस्ट विशेषज्ञ चिकित्सको को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ख) अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत चिकित्सक को अपने विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वाक्-इन-इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (ग) अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर निर्धारित आवेदन पत्र भर कर, सभी वांछित प्रपत्रों की स्व-हस्ताक्षरित प्रतिलिपियों के साथ सुबह 09.00 बजे से 13.00 बजे तक उपस्थित होने पर ही साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं अन्यथा साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (घ) इस साक्षात्कार के लिए को टी०ए०/डी०ए० देय नहीं होगा।
- (ङ) निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
- (च) चिकित्सको को संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सक उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए इंगेज किया जायेगा। यह इंगेजमेंट 14 दिन का एकपक्षीय नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (छ) रेलवे के साथ अनुबंध करने वाले चिकित्सक का रेल सेवा में निरन्तरता स्वतः विस्तार के लिए कोई दावा या अधिकार नहीं होगा।
- (ज) नियुक्त किये गये सीएमपी IRMM 2000 के पैरा 622(8) में 'विशेष' के रूप में वर्गीकृत किये गये आपरेशन्स को छोड़कर स्वयं के लिए निशुल्क चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। अनुबंध की अवधि के दौरान सम्बंधित जोनल रेलवे अस्पताल में सामान्य रूप से उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सेंटर में स्वयं के उपचार की सुविधा ले सकता है।
- (झ) वाक्-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को कोविड-19 के दिए गए निर्देश के अंतर्गत अभ्यर्थी को स्वयं का प्रमाण पत्र देना होगा कि वे किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। कोविड-19 का अन्य प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सैनीटाइज़र इत्यादि का पालन करना होगा।


सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का.)
वाराणसी

आवेदन पत्र का प्रारूप
संविदा के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,
मंडल रेल प्रबंधक (का.),
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी /

कृपया यहाँ
फोटो(नवीनतम) चसपा
करे

- 1) नाम (हिंदी/अंग्रेजी)-----
- 2) पिता/पति का नाम (हिंदी/अंग्रेजी)-----
- 3) पत्राचार का पता (मोबाइल नं० एवं पिन कोड सहित) -----

- 4) जन्म तिथि (अंक)----- (शब्दों में)-----
- 5) जिस वर्ग से सम्बंधित हो (सही चिन्ह लगाए) अ०जा० / अ०ज०जा०/ अन्य पिछड़ा वर्ग
- 6) राष्ट्रीयता -----
- 7) क्या आप एक भू-पू० रेल कर्मी हैं अथवा रेल में एक संविदागत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य किया है (यदि हाँ तो विवरण दें) -----
- 8) शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता

क्रमांक	परीक्षा	उत्तीर्ण होने का वर्ष	संस्थान का नाम	प्राप्तांक का प्रतिशत
01	हाईस्कूल / समकक्ष			
02	माध्यमिक / समकक्ष			
03	एम०बी०बी०एस० ।			
04	अन्य			

- 9) मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण संख्या ----- व दिनांक -----
- 10) अनुभव, यदि कोई हो -----
- 11) मूल आवेदन के साथ अपेक्षित अभिप्रमाणित कागजात निम्नानुसार संलग्न है -

- i) पासपोर्ट आकार के दो अद्यतन फोटोग्राफ
- ii) जन्म प्रमाण पत्र (हाई स्कूल या समकक्ष प्रमाण पत्र)
- iii) एम०बी०बी०एस० पी०जी० डिग्री / डिप्लोमा अंक पत्र सहित (सभी भाग तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का कोई उच्च चिकित्सा योग्यता का प्रमाण पत्र यदि कोई हो (सामान्य इयूटी के चिकित्सको हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए)
- iv) एम०बी०बी०एस० डिग्री के सभी भाग के अंक पत्र सहित अन्य कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा
- v) हाऊस जाद प्रमाण पत्र, यदि हो
- vi) अ०जा० / अ०ज०जा०/ अन्य पिछड़ा वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र-
- vii) चिकित्सा संघ प्रमाण पत्र (मेडीकल काउंसिल प्रमाण पत्र)
- viii) इंटरनशिप प्रमाण पत्र-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि (इस आवेदन में दिए गए कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सही हैं)। मुझे पता है कि इसमें दिए गए किसी भी विवरण / सुचना को असत्य अथवा गलत अथवा अपकथन में किसी तथ्यों को छिपाया गया अथवा विवरण विसंगति पायी जाती है, तो संविदा समाप्त कर दी जायेगी। और इसके लिए मेरे विरुद्ध कोई भी सिविल / अपराधिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मुझे यह भी जानकारी है कि इस साक्षात्कार के लिए यात्रा भत्ता इत्यादि का पात्र नहीं हूँ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक

पूरा नाम-----
पता-----